

२१/८/२३

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब दावा हेतु समग्र पत्रावली पत्रावली वास्तु जवाबदावा दिनांक २५/०९/२३ को पेश हो। ②

२३/८/२३

आज भद्र पत्रावली वादीगण के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई वादीगण व प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री पलविन्द सिंह के द्वारा की गई। प्राथमिक पत्र में लखवीर कार विवेक किया कि उक्त प्रकरण में हम पक्षकारण का आपस में राजीनामा हो गया है। इस कारण हम पक्षकारण उक्त प्रकरण में आगे कायवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः उक्त प्रकरण को आज की पेशी में लेकर खारिज फरमाया जावे।

रमनदीप

प्रधानकर्ता
23-8-23

वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा ८८, ९१, १८८, २०९ RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नूबर से कम हो वास्तुल पत्र हो। ②



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
गंगानगर

